ISSN: 3048-9423(Online)
Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS)
© NIJMS | Vol. 2 | Issue 2 | October-November 2025
Available online at: https://nijms.com/
DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v2i2.104

उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में संचालित शिक्षा व्यवस्था का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ.ज्ञानेन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

Corresponding Author Email: gyanenderk78@gmail.com

शोध सारांश:

*'**भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा'** संस्कृत भाषा, न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत की संग्राहिका है प्रत्युत् यह भारतीय आध्यात्मिकता की प्रवाहिका भी है। संस्कृत के इस माहात्म्य को देखते हुए ही 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ' में संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं शिक्षण पर काफी बल दिया है। इसमें संस्कृत भाषा की पाण्डुलिपि संरक्षण से लेकर संस्कृत अध्ययन अध्यापन तक सुझाव दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस नीति से पूर्व संस्कृत भाषा अध्ययन-अध्यापन हेतु प्रयास नहीं किये जा रहे थे इससे पूर्व भी केंद्र और सरकारों द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किये जाते रहे हैं इसी सन्दर्भ में अगर बात करें, उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए किये जा रहे प्रयासों की तो राज्य में 90 से ज्यादा संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही राज्य द्वारा संस्कृत भाषा में अनुसंधान हेतु 2005 में हरिद्वार में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए उत्तराखंड के पांच गाँवों को 'आदर्श संस्कृत ग्राम' के रूप में घोषित किया गया है। 2010 में राज्य ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया है। इतने प्रयासों के बाद, क्या उत्तराखंड में जनसामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार संभव हो पाया है? इसके अतिरिक्त क्या संस्कृत महाविद्यालयों में संचालित शिक्षा व्यवस्था छात्रों को अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करने में समर्थ हो पा रही है? इत्यादि प्रश्नों की चर्चा प्रस्तुत शोधपत्र में की गयी है।*

मुख्य शब्द : *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, संस्कृत भाषा ।*

1. परिचय:

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रत्येक सरकार फिर चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार सभी में संस्कृत भाषा के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास किये हैं जिनके परिणाम स्वरूप देश में न केवल सैकड़ों संस्कृत विद्यालय/ महाविद्यालयों की स्थापना की गई अपितु इनके

प्रस्तुत शोध कार्य का संपादन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा प्राप्त अनुदान से किया गया है |

प्रभावी संचालन हेतु व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही संस्कृत में अनुसंधान और उच्च शिक्षा हेतु लगभग 18 संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्कृत अकादमियों की भी स्थापना की गई है जिसके संस्कृत भाषा संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके।

इसी सन्दर्भ में हम यदि बात करें, उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की, तो सरकार द्वारा वर्ष 2002 में संस्कृत में शोध को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत अकादमी (जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होता है) और 2005 में संस्कृत विश्वविद्यालय (उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 97 संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है इसके बावजूद भी, इन प्रयासों की जमीनी हकीकत यह है कि इन 97 संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में, लगभग 2100 छात्र ही पढ़ रहे रहें हैं यानि एक विद्यालय में औसतन 22 छात्र ही पढ़ रहें हैं। इसके साथ संस्कृत इतनी महत्त्वपूर्ण भाषा होने बावजूद भी राष्ट्रीय जनगणना 2011 में संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24.821 हजार थी। यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के बावजूद भी संस्कृत अध्ययन के प्रति जनसामान्य का रुझान कम ही है।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अनुसार, "संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्त्वपूर्ण योगदान विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्त्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए, मुख्य धारा में लाया जाएगा। इतनी महत्त्वपूर्ण भाषा होने बावजूद भी राष्ट्रीय जनगणना 2011 में संस्कृत को मातृभाषा मनाने वाले लोगों की संख्या केवल 24.821 हजार थी। वर्ष 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण में काफी बल दिया गया है। इसके अंतर्गत संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में विकल्प के रूप में रखा गया है। इसके अलावा फाउन्डेशन और मिडिल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को सरल और आनंददायी बनाने की बात भी कही गई है। इन प्रावधानों से पूर्व भी भारत सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के अध्ययन के पूरी तरह समर्पित महाविद्यालयों की स्थापना और संचालन किया जा रहा है। किन्तु क्या ये महाविद्यालय संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण के लिए ठीक प्रकार से कार्य कर रहे है? इनके संचालन में क्या-क्या चुनौतियों आ रही है? क्या संस्कृत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए किसी प्रकार की प्लेसमेन्ट सेल है? इसके अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता मानकों (समानता, गुणवत्ता और पहुँच) पर जमीनी हकीकत क्या है? इन सभी प्रश्नों का तथ्यात्मक उत्तर खोजने का प्रयास इस शोध अध्ययन में किया गया किया है। साथ ही उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा व्यवस्था की वस्तुस्थिति का पता लगा कर, इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव दिए गए हैं।

2. शोध उद्देश्य-

शोधकर्ता ने संस्कृत महाविद्यालयों में संचालित शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन करने का निर्णय लिया इस शोध कार्य को करने के लिए शोधकर्ता द्वारा कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया जिसमें मुख्य शोध उद्देश्य था- 'उत्तराखंड संस्कृत महाविद्यालयों में भारतीय

भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना।' इसके अंतर्गत शोधकर्ता ने कुछ अन्य उद्देश्यों का निर्माण था जैसे-

- उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के साहित्य के 'डिजिटलाईजेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों का गहनता से अध्ययन करना।
- उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों की कार्यकुशलता और दक्षता के विकास के लिए आयोजित सेमिनार और कार्यशालाओं का समीक्षात्मक विवेचन करना।
- उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में छात्रों को रोजगार के लिए प्लेसमेंट सेल की उपलब्धता और उसकी कार्यशैली तथा कार्यों का गहनता से विश्लेषण करना।
- संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात, जी.आई.आर, एस.सी, एस.टी, दलित, आदिवासी और महिला छात्रों का नामांकन अनुपात इत्यादि का तथ्यात्मक विश्लेषण करना।
- संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, एस.सी, एस.टी, दलित, आदिवासी और महिला शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यसंतुष्टि का अध्ययन करना।
- काउंसलिंग, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता का विश्लेषण करना।

3. शोध प्रविधि एवं न्यादर्श-

इन शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा **विवरणात्मक शोध विधि** चयन किया गया है इसके पश्चात् **'स्तरीकृत न्यादर्श विधि'** से चयनित उत्तराखंड के आठ संस्कृत महाविद्यालयों से **30 शिक्षक और दो सौ से ज्यादा विद्यार्थियों** से आंकड़ों का संकलन किया है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण के साथ ही, आवश्यकता अनुरूप हितधारकों यथा शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के कथन को भी विश्लेषण में स्थान दिया गया है

4. आंकड़ों का विश्लेषण-

शोध कार्य में संकलित आकंड़ों का विश्लेषण उद्देश्य को आधार बनाकर किया है इसी संदर्भ में शोध का सर्वप्रथम उद्देश्य था कि 'उत्तराखंड संस्कृत महाविद्यालयों में बोलियों और भारतीय भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना' इसके अंतर्गत शोधकर्ता ने सभी हितधारकों यथा शिक्षक और विद्यार्थी से यह समझने का प्रयास किया कि क्या उनके महाविद्यालय में भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं? तो ज्ञात हुआ कि इनके पुस्तकालय में भारतीय भाषाओं से संबंधित पुस्तकें हैं साथ ही शिक्षक भी इन्हें भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अध्यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने का माध्यम संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा ही है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में संस्कृत संभाषण सिखाने हेतु शिविरों आयोजन भी किया जाता है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण ही संस्कृत माध्यम से करते हैं। इन प्रयासों के अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालयों द्वारा कोई अन्य प्रयास नहीं किया जा रहे हैं जैसे पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु कार्यशालाओं

का आयोजन किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं में, पाठ्यसामग्री का निर्माण करने की किसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालयों में अनुवाद के प्रशिक्षण की किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है ना ही पाठ्यक्रम में भी अनुवाद, पाण्डुलिपि के संरक्षण इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार की विषयवस्तु को स्थान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही संस्कृत से अन्य भारतीय भाषा और अन्य भारतीय भाषा से संस्कृत में अनुवाद हेतु प्रशिक्षण, मातृभाषा जैसे गढ़वाली या कुमाँउनी भाषा में शिक्षण हेतु किसी भी तरह के प्रशिक्षण इत्यादि व्यवस्था का भी अभाव है। भारतीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री निर्माण हेतु शिक्षकों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है इत्यादि विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य था कि संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु किये जा रहे कार्यों का समालोचात्मक अध्ययन करना' नवीन शिक्षा नीति में संस्कृत भी पारम्परिक पाठशालाओं के अतिरिक्त शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने पर काफी बल दिया गया है ताकि संस्कृत भाषा के अध्येताओं की संख्या में वृध्दि की जा सके। इसी सन्दर्भ में यदि देखे उत्तराखंड में संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनेक कार्य किये गए हैं जैसे संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करना, संस्कृत संभाषण के लिए आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा, राज्य में 90 संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय का संचालन, अलग संस्कृत निदेशालय की स्थापना, संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना किन्तु इतने प्रयासों के बाद भी राज्य में संस्कृत की स्थिति अच्छी नहीं है प्राय: सभी संस्कृत महविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों के पद रिक्त है। कई संस्कृत महविद्यालयों में पिछले बीस वर्ष से नियमित अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यही नहीं इन बीस वर्षों में अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं जिससे शिक्षकों की संख्या में काफी कमी है। कई महाविद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक है जो प्राय: सभी विषयों यथा साहित्य व्याकरण, ज्योतिष, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान इत्यादि विषयों शिक्षण करता है। कई महाविद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनको नाममात्र का वेतन लगभग दश हजार रूपये दिए जाते हैं। कुछ शिक्षकों राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से अनुदान मिलता है जो वर्ष में एक या दोबारा में दिया जाता है। छात्रों के लिए छात्रावास है किन्तु उनमे सुविधा यथा भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा इत्यादि का अभाव है जिसके चलते छात्र छात्रावास में रहना ही नहीं चाहते हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य का तृतीय उद्देश्य था कि 'संस्कृत साहित्य के 'डिजिटलाईजेशन के लिए किये जा रहे प्रयासों का समीक्षात्मक अध्ययन करना' संस्कृत अपनी गूढता और विपुलता के लिए सम्पूर्ण विश्व में सुविख्यात है इसका साहित्य जहाँ एक ओर अध्यात्म विद्या पर बल देता है वहीं दूसरी ओर लोकोपकारक शिक्षा को भी काफी महत्त्व देता है इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में न केवल संस्कृत के अध्यापन पर बल दिया है अपितु इसके साहित्य के संरक्षण पर भी काफी बल दिया है। संस्कृत भाषा के इस संरक्षण में डिजिटलाईजेशन' एक महत्त्वपूर्ण कार्य है जिस पर कार्य किये जाने की अत्यंत आवश्कयता है। इस विषय पर संस्कृत महविद्यालयों में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। इसके लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसकी कोई व्यवस्था संस्कृत महाविद्यालयों में नहीं है और नाही इस कार्य करने के लिए किसी भी हितधारक में रूचि ही है। राज्य सरकार द्वारा भी इस विषय पर किसी प्रकार का अनुदान संस्कृत महविद्यालयों को दिया जा रहा है।

शोध के चतुर्थ उद्देश्य था 'शिक्षकों की कार्यकुशलता और दक्षता संवर्धन हेतु आयोजित सेमिनार और कार्यशालाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करना' के संबंध में शोधकर्ता द्वारा आकंड़ों का संग्रहण किया गया। आकंड़ों के विश्लेषण के पश्चात् ज्ञात हुआ

कि 'शिक्षकों की कार्यकुशलता और दक्षता संवर्धन हेतु किसी प्रकार के सेमिनार का आयोजन संस्कृत महाविद्यालयों में नहीं किया जा रहा है यद्यपि शिक्षक चाहे तो अपने व्यय पर कार्यशालाओं या सेमिनार में पत्र वाचन कर सकते हैं। यदा-कदा छात्रों और शिक्षकों एवं छात्रों हेतु महाविद्यालयों में संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन किया जाता है किन्तु इन शिविरों के आयोजन में निरंतरता का अभाव है। राज्य सरकार द्वारा भी इनकी कार्यकुशलता और दक्षता संवर्धन हेतु किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। अद्यतनीय प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षकों के शिक्षण कौशलों में नवाचार का नितांत अभाव है जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ रहा है।

कोई भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आजीविका प्राप्त करना ही चाहता है। संस्कृत महाविद्यालयों में प्रदान जा रही शिक्षा की रोजागार उन्मुखता का आकलन हेतु प्रस्तुत शोध में एक उद्देश्य का निर्माण किया गया था जिसमे पूछा गया था कि 'छात्रों को रोजगार हेतु प्लेसमेंट सेल की उपलब्धता और उसकी कार्यशैली तथा कार्यों का गहनता से अध्ययन करना' इसके संबंध में आकंड़ों के संकलन से पता चला कि प्राय: संस्कृत महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल की उपलब्धता नहीं है और जहाँ पर हैं वे भी कार्यशील नहीं हैं। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि छात्रों के रोजगार के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है साथ ही उन्हें रोजगार हेतु प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। संस्कृत भाषा में क्या-क्या रोजगार के अवसर है इसकी भी जानकारी छात्रों के पास नहीं है इसका कारण प्लेसमेंट सेल की अनुपलब्धता अभाव है। आंकड़ों के संकलन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के स्वीकार भी किया कि प्लेसमेंट सेल को बनाया जाना चाहिए।

स्वस्थ व्यक्ति का, मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है यदि छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभाग नहीं लेगा अत: छात्र का फिर चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक दोनों ही रूपों में स्वस्थ होना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य का निर्माण किया गया था कि 'काउंसलिंग, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता का समीक्षात्मक करना' आकंड़ों के विश्लेषण के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि प्राय: किसी भी संस्कृत महाविद्यालय में काउंसलिंग की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त इन संस्कृत महाविद्यालयों में छात्रो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, न तो नियमित और नाही अस्थायी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी जबकि प्राय: सभी महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा थी। किसी-किसी महाविद्यालय में प्राथमिक उपचार किट जरुर उपलब्ध थी।

भारत एक विविधता पूर्ण देश है यह विविधता अलग-अलग धर्म, जाति, भाषा, कला, संस्कृति इत्यादि के रूप में दिखाई देती है। यह विविधता ही हमारे देश की खूबसूरती है। क्या यह विविधता संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों में भी है। इसी के आकलन हेतु अनुसंधाता द्वारा शोध हेतु एक अन्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था की 'संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात, एससी, एसटी, आदिवासी, जीआईआर, दलित, और महिला छात्रों का नामांकन अनुपात इत्यादि का विश्लेषण करना' इसके संबंध में आकंड़ों का संकलन किया गया तो पाया गया कि चयनित आठ संस्कृत महाविद्यालयों के 859 छात्रों में 848 पुरुष छात्र और केवल 11 महिला छात्राएं थी। अगर पंजीकृत छात्रों में, समाज के अन्य वर्ग के छात्रों की संख्या देखें तो 859 छात्रों में से 596 छात्र सामान्य वर्ग, 263 (07 महिला छात्राओं सहित) अन्य पिछड़ा वर्ग, एक अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। एक भी छात्र

दिव्यांग, आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और दलित वर्ग से संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहा है। चयनित आठ संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों में एक भी छात्र मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौध्द, जैन या किसी अन्य धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। छात्रों की विविधता का संस्कृत महाविद्यालयों में नितांत अभाव है। इसका कारण है समाज में संस्कृत भाषा के लिए बना हुआ दृष्टिकोण जिसमे माना जाने लगा है कि संस्कृत की धर्म या वर्ग विशेष की भाषा है। इस दृष्टिकोण को परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी भाषा किसी धर्म या वर्ग विशेष से जुड़ी नहीं हो सकती है और संस्कृत तो भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका है। इसके अतिरिक्त समाज के जिन वर्गों का संस्कृत अध्ययन में उदासीनता है उसको दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षण वातावरण को भी और ज्यादा समावेशी बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे अन्य वर्ग, जाति और धर्म के छात्र भी संस्कृत अध्ययन हेतु आकर्षित हो सकें।

शोधकर्ता द्वारा यह जाने का भी प्रयास किया गया है कि संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों में अन्य वर्ग, जाति और धर्म के लोगों की क्या स्थिति है ? इसके लिए शोधकर्ता के द्वारा जिस शोध उद्देश्य का निर्माण किया गया है वह है 'संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, आदिवासी, दलित, एससी, एसटी और महिला शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यसंतुष्टि का समीक्षात्मक अध्ययन करना, सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त अनुसंधाता द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों अध्यापनरत 55 शिक्षकों से संबंधित आकंडे प्राप्त हुए जिसमे 10 महिला अध्यापक एवं 45 पुरुष अध्यापक हैं। 55 शिक्षकों में, 3 अन्य पिछड़ा एवं 52 सामान्य के शिक्षक थे। इन शिक्षकों में एक भी दलित, दिव्यांग, शिक्षक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और किसी अन्य धर्म से नहीं है। जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे सभी जाति, वर्ग और धर्म से जुड़े व्यक्ति भी शिक्षण कार्य में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही अगर अलग-अलग वर्गों से लोगों संस्कृत शिक्षण कार्य में जुड़ेंगे तो उन वर्गों से संबंधित छात्र भी संस्कृत अध्ययन के लिए प्रवृत्त होंगे। इसके साथ सर्वेक्षण में पाया गया कि संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों हेतु किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है जिससे शिक्षकों के शिक्षण कार्य में नवाचार का अभाव है।

5. समस्या के संभावित कारण –

किसी भी समस्या के विविध कारण हो सकते हैं जो कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ जाते हैं किन्तु कभी-कभी वे सरलता से दिखलाई नहीं देते है। जिसके लिए हमें सम्पूर्ण परिस्थिति का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध के आकंड़ों के संकलन के दौरान संस्कृत महाविद्यालयों से संबंधित सभी हिताधारकों से साक्षात्कार करते हुए, कुछ संभावित कारणों को ज्ञात किया साथ ही कुछ कारणों का ज्ञान शोधकर्ता को संकलित आंकड़ों के विश्लेषण करते हुए हुआ। अनुसंधान में ज्ञात संभावित कारण हैं –

- उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति काफी वर्षों से नहीं की गई है इसके साथ ही पूर्व में नियुक्त शिक्षक तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं किन्तु उनके स्थान पर अन्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके कारण, संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों की संख्या अत्यंत कम हो चुकी है अध्यापकों के अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। चयनित आठ संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों का नितांत अभाव हो चुका है कहीं एक,

तो कहीं-कहीं पर दो ही नियमित शिक्षक रह गए हैं जो कक्षा छठी से आचार्य (परास्नातक) की कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर रहें हैं।

- चयनित आठ संस्कृत महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अत्यंत अभाव है जैसे भाषा प्रयोगशाला, लैब, अद्यतनीय पुस्तकों का अभाव, उचित खेल कूद का मैदान, कक्षा कक्ष की कमी इत्यादि। इन समस्याओं का एक बड़ा कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड(वित्त) की कमी का होना है। बहुत सारे महाविद्यालयों को कई वर्षों से फंड नहीं मिला है। बहुत सारे संस्कृत महाविद्यालयों का संचालन स्थानीय आश्रमों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाओं को भी संसाधन प्रदान करने में किसी प्रकार की रूचि नहीं हैं। छात्रों से भी शुल्क नाममात्र लेने के कारण, संस्कृत महाविद्यालयों के पास अपने खुद के फंड भी अभाव है। इस सबके परिणाम स्वरूप संस्कृत महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ न के बराबर ही है। जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी संस्कृत महाविद्यालयों की अपेक्षा, सामान्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं।
- प्राय: सभी संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना काफी वर्षों पहले की गई थी जोकि कम से कम तीस वर्ष तो है। उस समय पर निर्मित ये भवन अब जर्जर हालात में हैं जिनके उचित देखभाल के लिए भी फंड महाविद्यालय के पास नहीं है। इन जर्जरित भवनों में शिक्षण कार्य कराना, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है साथ ही ये छात्रों के लिए सुरक्षित भी नहीं है।
- किसी भी संस्थान के लिए शोध उसकी धरोहर की तरह होता है जिससे संस्थान को पहचान और प्रसिध्दि दोनों ही मिलते हैं। अत: शोध पर, सभी संस्थानों का अतिरिक्त ध्यान होना चाहिए। इसी सन्दर्भ में अगर विचार करें संस्कृत महाविद्यालयों में हो रहे अनुसंधान कार्यों की दशा और दिशा की तो इन संस्थानों में शोधकार्यों हेतु अपेक्षित मूलभूत सुविधा जैसे लैब, उपकरणों (मनोवैज्ञानिक टेस्ट), सोफ्टवेयर, अद्यतनीय शोध की पुस्तकें इत्यादि का नितांत अभाव है। शोध के लिए अध्यापकों और छात्रों को प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था भी नहीं है।
- शिक्षा ग्रहण करने उपरांत प्रत्येक छात्र की यह इच्छा होती है कि उसे यथाशीघ्र ही एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए जिससे वह अपना जीवनयापन उचित प्रकार से सके। शोधकर्ता ने इसी संदर्भ में शोध आकंड़ों के संग्रहण के दौरान पाया कि प्राय: किसी महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया गया है जिसके चलते विद्यार्थियों को रोजगार के संबंध में सूचनाएं उचित समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही हैं इसके साथ ही उन्हें किसी व्यवसाय में जाने हेतु अपेक्षित दक्षता के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण भी नहीं मिल पा रहा है।
- बहुत सारे महाविद्यालयों में, अलग-अलग कारणों से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके कारण अध्यापकों को ही प्राचार्य का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इन महाविद्यालयों में,पूर्व में ही शिक्षकों का अभाव है ऐसे समय पर इस प्रकार की व्यवस्था सुचारू शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन में और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर रही है।

- शोध के नवीन क्षेत्रों के अन्वेषण में शोध पत्रिका शिक्षकों और छात्रों की काफी सहायता करती है किन्तु इन महाविद्यालयों में फंड के अभाव के कारण अच्छी शोध पत्र-पत्रिकाओं को क्रय पाना भी संभव नहीं है जिससे कारण शिक्षकों और छात्रों में, शोध के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
- शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है जैसे सही समय पर वेतन न मिलना, आवास, दक्षता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण का अभाव इत्यादि अनेक समस्याएं हैं जिनके कारण शिक्षणेतर कर्मचारियों कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
- संस्कृत महाविद्यालयों संचालित शिक्षण व्यवस्था में नवाचार का नितांत अभाव है। छात्र पुरातन शिक्षण विधि यथा प्रश्न उत्तर, व्याख्यान इत्यादि विधियों द्वारा पढ़ रहे हैं। जिसके कारण छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी सहभागिता नहीं प्रदर्शित करते हैं। व्याख्यान के स्थान पर, करके सीखना विधि, प्रोजेक्ट विधि, ट्युटोरियल इत्यादि विधियों का प्रयोग करके शिक्षण को और भी रूचिकर बनाया जा सकता है।
- संस्कृत महाविद्यालयों में काफी शिक्षक 'अतिथि शिक्षक' के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसके बदले इन्हें नाम मात्र भर वेतन का ही है यह वेतन भी वर्ष में एक बार या दो बार में दिया जाता है। जिसके कारण अध्यापक विकट आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिससे सम्पूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो रही है।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में अन्य जाति, समुदाय, वर्ग एवं धर्म से जुड़े लोगों (शिक्षकों एवं छात्रों) का नितांत अभाव है। जोकि अत्यंत चिंताजनक है। इसके संस्कृत महाविद्यालयों के प्रति इस धारणा को भी बल मिलता है कि संस्कृत भाषा की किसी वर्ग विशेष से जुड़ी भाषा है। इस प्रकार की धारणा संस्कृत भाषा के विकास के लिए उचित नहीं है क्योंकि भाषा का विस्तार तभी संभव है जब उसको पढ़ने और जानने वाले, समाज के सभी वर्गों से हों।

6. समस्या दूरीकरण हेतु परामर्श –

अनुसंधान के दौरान, शोधकर्ता द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षा के अवसरों की समानता पहुँच और शैक्षणिक गुणवत्ता पर गहनता से विश्लेषण किया गया है। जिसमे पाया गया है कि संस्कृत महाविद्यालयों में मानवीय (छात्र, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षक इत्यादि) और भौतिक (इंटरनेट, पुस्तकालय, कंप्यूटर, चिकित्सीय सुविधा, खेल कूद का समान इत्यादि) का अत्यंत अभाव है। जिससे कारण संस्कृत अध्ययन के प्रति भावी पीढ़ी का आकर्षण कम है और जो अध्ययन कर रहे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पाठ्यक्रमों को सालों से अद्यतन नहीं किया गया है। शिक्षकों को कार्यदक्षता संवर्धन हेतु किसी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध है। छात्रों को रोजगार से जुड़ी जानकारी या अवसर उपलब्ध कराने हेतु किसी भी प्रकार प्लेसमेंट सेल का गठन एवं संचालन नहीं किया जा रहा है। नियमित शिक्षकों का अत्यंत अभाव है। संस्कृत महाविद्यालयों में भौतिक संरचना यथा प्रयोगशाला, छात्रावास, कक्षा कक्ष इत्यादि अत्यंत जर्जर दशा में है जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अनुसंधाता द्वारा

वास्तविक धरातल पर निरीक्षण करने पर, इस प्रकार की अनेक समस्याओं को देखा गया जिसके निराकरण के लिए निम्नलिखित परामर्श हैं जिनका अनुपालन करके इन समस्याओं को निर्मूल नहीं तो कम निश्चित रूप से किया जा सकता है -

- किसी भी शिक्षा संस्थान के संचालन में अध्यापक का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि अध्यापक द्वारा ही समाज की अपेक्षा और आवश्यकता को ध्यान में, रखकर बनाये गए पाठ्यक्रम को वास्तविक धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास किया जाता है इसलिए यथासंभव, शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सफल संचालन किया जा सके।
- उत्तराखंड में संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं उन्हें वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया है अत: इनको तत्काल अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है। अद्यतन की इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े स्थानीय साहित्य को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए जिससे अन्य जाति, वर्ग और धर्म जुड़े व्यक्ति भी संस्कृत अध्ययन के प्रति आकर्षित हो सकें।
- शोध के दौरान शोधकर्ता द्वारा यह देखा गया कि संस्कृत महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया गया है जिसके कारण छात्रों को रोजगार संबंधित सूचना और चयन के अवसर समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अत: संस्कृत महाविद्यालयों में यथाशीघ्र प्लेसमेंट सेल की स्थापना कराई जानी चाहिए साथ ही जिन महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना हो चुकी है उनको और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने की जरुरत है जिससे छात्रों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो सकें।
- संस्कृत महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर उन संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए जो संस्कृत अध्ययन कर रहे छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दे सकते हैं। जिसे संस्कृत अध्ययन कर रहे छात्रों को रोजगार हेतु ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के अवसर प्राप्त हो सके।
- प्रस्तुत अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा यह पाया गया है कि संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को किसी भी प्रकार छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है जिसके कारण जो मेधावी छात्र हैं और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं किन्तु धन न होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि उनके लिए उचित छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो जाती है तो उनको अध्ययन करने में, किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं कारण पड़ेगा।
- संस्कृत भाषा में रोजगार के अवसर निर्माण हेतु नए पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र कोर्स प्रारंभ किये जाने चाहिए जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग, कम्प्युटेशनल भाषा विज्ञान, कृत्रिम बुध्दि (Artificial intelligence) इत्यादि इन पाठ्यक्रमों की संरचना संस्कृत भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को ज्यादा-ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

- संस्कृत भाषा के साहित्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु यह परमावश्यक है कि साहित्य को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए जिससे संस्कृत साहित्य को लम्बे समय तक यथारूप ही रखा जा सके। संस्कृत साहित्य के 'डिजिटलाईजेशन' रा.शि.नी.2020 में भी काफी बल दिया है किन्तु दुर्भाग्य से उत्तराखंड सरकार संचालित संस्कृत महाविद्यालयों में न तो इसको 'डिजिटलाईजेशन' हेतु किसी प्रकार की सुविधा और नाही इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए यथा संभव प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- संस्कृत महाविद्यालयों में उपलब्ध छात्रावास की सुविधा में मूलभूत संसाधनों का अभाव है जैसे भोजन की व्यवस्था का अभाव, जर्जर दशा में कक्ष, इन्टरनेट की सुविधा, उपयुक्त फर्नीचर का अभाव इत्यादि इन यथाशीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- कुछ संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत पाठशाला साथ ही संचालित किये जा रहे हैं जिन्हें पृथक्-पृथक् किये जाने की आवश्यकता है यद्यपि यह कार्य उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा कराया जा रहा है उसे और तीव्रता से किये जाने की आवश्यकता है।
- बहुत सारे संस्कृत महाविद्यालय आश्रमों में संचालित किये जा रहे हैं जिसके कारण आश्रम के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के संचालन में रुकावटें उत्पन्न की जाती हैं सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिससे संस्कृत महाविद्यालयों सुचारू संचालन संभव हो सके।
- शोध के आकंड़ों के संकलन में दौरान यह पाया गया कि शिक्षकों द्वारा व्याख्यान या प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत अध्यापन में नवाचारित शिक्षण विधियों के प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।
- संस्कृत शिक्षण में ट्यूटोरियल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए यह केवल एक शिक्षण विधि मात्र नहीं है यह छात्र के साथ शिक्षक के व्यक्तिगत संपर्क बनाने का साधन भी है। ट्यूटोरियल, छात्र के अधिगम में आ रही समस्याओं के निराकरण में अत्यंत उपयोगी सिध्द हो सकता है।
- रा.शि.नी. 2020 में, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर काफी बल दिया गया है इस कार्य में संस्कृत महाविद्यालयों की महती भूमिका हो सकती है इस सन्दर्भ में संस्कृत और भारतीय भाषाओं के पारस्परिक संबंध पर शोध कार्य को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
- संस्कृत महाविद्यालयों में दलित, अनुसूचित जाति और जनजातीय छात्रों के नामांकन में वृध्दि के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास इत्यादि सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- संस्कृत महाविद्यालयों में, छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा न होने के कारण महिलाओं की संख्या बहुत कम है जिससे महिलाओं को संस्कृत पढ़ने का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस यथाशीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है इससे यहाँ इन्टरनेट कनेक्टविटी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसके अलावा यहाँ इन्टरनेट कनेक्टविटी मूलभूत संसाधन भी नहीं है। जिसके चलते छात्रों को अद्यतनीय पाठ्य सामग्री नहीं मिल पाती है। अतः: इसको बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
- संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों की संख्या में वृध्दि करने हेतु स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के प्रसार की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
- शोध के दौरान शोधकर्ता को यह अनुभव हुआ कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि और अभिक्षमता की कोई कमी नहीं है सिर्फ इन्हें बेहतर सुविधा और उचित मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर, खेले जाने खेलों को चिह्नित करके उनसे संबंधित सुविधा और मार्ग निर्देशन दिया जा सकता है। जिससे संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र भी खेलों में देश का नाम ऊँचा कर सकें।
- संस्कृत महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बहुत सारे पद रिक्त है उन्हें यथाशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक महाविद्यालय में एक लिपिक और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद ही स्वीकृत है। ये संख्या संस्कृत महाविद्यालय के सुचारू कार्यसंचालन के लिए अपर्याप्त है। इनकी संख्या कम से कम तीन लिपिक और छ: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाने की आवश्यकता है जिससे शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।
- संस्कृत महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों कार्यकुशलता संवर्धन के लिए किसी प्रकार के कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे इनके कार्य करने की शैली बहुत धीमी है। अत: इनके प्रशिक्षण के व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- सम्पूर्ण शिक्षा के उपाक्रम में छात्र का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है अत: जब तक हम उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में विषयवस्तु को स्थान नहीं देंगे तो वे संस्कृत पढ़ने के प्रति आकर्षित नहीं होगें।
- शोध के दौरान यह पाया गया कि संस्कृत महाविद्यालयों में 'महिला शिकायत निवारण समिति' का गठन नहीं किया गया है जिसके अभाव में छात्राएं अपनी समस्याओं के विषय में प्रशासन को नहीं बता पा रही है। शोधकर्ता ने यह परामर्श तत्काल ही दिया था जिस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य को और भी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। जिससे छात्राओं को बेहतर मार्ग निर्देशन मिल सके।
- संस्कृत महाविद्यालय में अनुसंधान हेतु उचित सुविधाओं यथा लैब, पुस्तकें, शोध पत्रिका, शोध प्रबंध इत्यादि का नितांत अभाव है। जिस पर तुरंत ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में अनुसंधान दक्षता के संवर्धन के लिए कार्यक्रमों कराए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए शोध कार्यक्रम कराये जाने की आवश्यकता है। जिससे महाविद्यालय में अनुसंधान हेतु उचित वातावरण का निर्माण किया जा सके।
- संस्कृत महाविद्यालयों में बहुत सारे शिक्षक 'अतिथि शिक्षक' के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनका वेतन नाम मात्र भर का ही है। इन शिक्षकों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए यह वेतन भी समय पर मिले इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. निष्कर्ष –

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध के दौरान वास्तविक धरातल से आंकड़ों का संकलन करके उनका अनेक आधारों पर विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में उन सभी पक्षों को गहनता से विचार किया गया है जिन पर चर्चा किए बगैर संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं हो सकता है। शोध में पाया गया कि संस्कृत के विकास हेतु सभी हितधारकों को अपने-अपने हिस्से के दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयास निष्फल ही सिध्द होंगे।

REFERENCES

[1] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* [हिंदी रूपांतरण]. NCERT.

[2] कुमार, के. (2005). *राजनीतिक एजेंडा और शिक्षा*. राजकमल प्रकाशन.

[3] शुक्ला, लक्ष्मी. (2009). *भारतीय मनोविज्ञान*. इस्टर्न बुक डिपो.

[4] त्रिपाठी, आर. पी. (2015). *संस्कृत शिक्षा: वर्तमान और भविष्य*. चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन.

[5] भार्गव, एम., एवं शर्मा, एस. (2017). संस्कृत महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार: एक विश्लेषण. *भारतीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका*, *15*(2), 45-62.

[6] चौबे, एस. पी. (2018). *भारत में उच्च शिक्षा: चुनौतियाँ और समाधान*. पियर्सन.

[7] पाण्डेय, आर. एस. (2019). *उच्च शिक्षा प्रबंधन*. आर लाल बुक डिपो.

[8] भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. https://www.education.gov.in/

[9] कुमार, ज्ञानेन्द्र, एवं कुमार, राकेश. (2020). *भारतीय मनोविज्ञान का समसामयिक अध्ययन*. बुकमैन पब्लिकेशन.

[10] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2022). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (फाउन्डेशनल स्टेज) 2022*. NCERT.

[11] शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* [हिंदी रूपांतरण]. https://www.education.gov.in/

[12] उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय. (2023). *वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23*. उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय.

[13] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2022). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (फाउन्डेशनल स्टेज) 2022*. NCERT.

Cite this Article:

डॉ.ज्ञानेन्द्र कुमार, " उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में संचालित शिक्षा व्यवस्था का समीक्षात्मक अध्ययन ", *Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS), ISSN: 3048-9423 (Online), Volume 2, Issue 2, pp. 26-37, October-November 2025.*

Journal URL: https://nijms.com/

DOI: *https://doi.org/10.71126/nijms.v2i2.104*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.